नि र्ण य

दिनांक : 17 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 किशनाराम बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 2394 रकबा 0.8090 हैक्टेयर ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा में आने-जाने हेतु अपीलांट एवं अन्य रेस्पो /अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 2396 रकबा 1.5047 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए, बी, सी, डी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट्स को तामील नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को नोटिस अपीलांट्स के भाई/पुत्र देवाराम मेघवाल/रेस्पोडेंट संख्या दो ने प्राप्त किये तथा रेस्पोडेंट संख्या दो अपीलांट्स के साथ नहीं रहता है तथा न ही कानूनन रेस्पोडेंट संख्या दो अपीलांट्स के नोटिस प्राप्त करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-397RAAJodhpur2022-240RTA225 Kailash ors Vs Kishanaram etc

01. कैलाश पुत्र श्री शंकरलाल
02. श्रीमती रुकमादेवी पत्नी श्री शंकरलाल
जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. किशनाराम पुत्र मिसराराम जातियान् मेघवाल, निवासी- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. देवाराम पुत्र श्री शंकरलाल
3. पिंकी पुत्री श्री शंकरलाल
4. राणाराम पुत्र श्री पाबूराम
जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. सुआ देवी पुत्री शंकरलाल पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 किशनाराम बनाम देवाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या छः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकार नहीं थ न ही नोटिस के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना अपीलांट्स को दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जारी नोटिस तामील नहीं हुए व न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई हेतु पुनः नोटिस जारी किये न ही अीपलांट्स को जवाब हेतु समय ही दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का मौका दिये व बिना जवाब का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11.03.2022 व मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 के आधार पर पारित किया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या छ व हल्का पटवारी भावी जे.बी. व भू-अभिलेख भावी द्वारा खसरा संख्या 2396 के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट व फर्द रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व न तो अपीलांट को सूचित किया व न ही अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की व न ही अपीलांट के तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट देखने से भी स्पष्ट है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किेय जाने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस नहीं दिया, क्योंकि मौका रिपोर्ट में नोटिस जारी करने के क्रमांक व दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना व उसकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक व आज्ञापक है। इस प्रकार तहसीलदार बिलाड़ा, हल्का पटवारी भावी जे.बी. व भू-अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा खसरा नं. 2396 के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट व फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने में नियम 69 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिले निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने खेत खसरा नं. 2394 व 2395 में काश्त कार्य हेतु अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या दो से चार की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं. 2397 के पूर्वी माठ के सहारे स्थित वैकल्पिक रास्ते से होकर खसरा नं. 2398 की उतरी व पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे होकर आने जाने हेतु उपयोग-उपभोग में लेता है तथा खसरा नं. 2397 के पूर्वी माठ के सहारे-सहारे स्थित वैकल्पिक रास्ते से होकर ही खसरा नं. 2397 के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित अन्य खसरान् संख्या 2398, 2400, 2401, 2399, 2393, 2406, 2405, 2404 के खातेदार काश्त कार्य हेतु आते-आते है। खसरा नं. 2397 के पूर्वी माठ के सहारे-सहारे स्थित वैकल्पिक रास्ते संबंध में अपीलांट्स द्वारा रंगीन फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये है, जिससे भी स्पष्ट है कि मौके पर खसरा नं. 2397 के पूर्वी माठ के सहारे-सहारे वैकल्पिक रास्ता स्थित है तथा इसी वैकल्पिक रास्ते से होकर रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा इस वर्ष अपने खेत खसरा नं. 2394 व 2395 में बरसाती फसल ज्वार की खड़ाई व बुवाई की है तथा आज भी मौके पर रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत में फसल खड़ी है। रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नं. 2394 व 2395 में आने-जाने हेतु अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या दो से पांच की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं. 2397 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है, जिसे भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से मिलीभगती व सांठ-गांठ कर तैयार की गयी मौका फर्द रिपोर्ट में दर्शित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता प्रदान किये जाने से अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 2396 व 2397 के पश्चिमी एवं पूर्वी माठ के दोनो तरफ रास्ते हो गये है, जबकि एक ही खातेदार की भूमि के दोनो तरफ की माठ से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ते नहीं दिये जा सकते है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ते को कई वर्षो से उपयोग-उपभोग मे लेना बताया है तथा इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या एक के अनुसार वांछित रास्ता कदीमी रास्ता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वांछित रास्ते को कदीमी बताते हुए दिनांक 21.04.2003 को सरपंच ग्राम पंचायत भावी के समक्ष कदीमी रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसके दर्ज नंबर 01/2003-2004 है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत भावी द्वारा उस समय रेस्पोडेंट संख्या दो से पांच के पिता/पति शंकरलाल व रेस्पोडेंट संख्या चार राणाराम की फर्जी तामील करवाकर दिनांक 05.06.2003 को रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में निर्णय पारित किया, जिसकी जानकारी अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त करने पर हुई। मौके पर वांछित रास्ते के स्थान पर कोई भी कदीमी रास्ता नही चलता है मौके पर वांछित रास्ता के उतर व दक्षिण दिश की सीमा/माठ पर 20-25 वर्ष पुराने वृक्ष खड़े है। इसलिए मौके पर कदीमी रास्ता चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। एक तरफ रेस्पोडेंट संख्या एक वांछित रास्ता कदीमी रास्ता बताते हुए तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भावी से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करता है, दूसरी तरफ वांछित रास्ता को नया मार्ग बताते हुए धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करवाता है। जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वांछित रास्ता के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत भावी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में दिनांक 05.06.2003 को निर्णय पारित किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाद पुनः रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वांछित रास्ता के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यधिक चौड़ाई के रास्ते का आदेश पारित किया है, जिससे अपीलांट्स की खातेदारी भूमि का अधिक रास्ते के रूप मे खराब हुआ है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2022 की पालना में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जमा करवाये गये चैक अपीलांट्स को देने हेतु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22.08.2022 को फोन पर अपीलांट्स को सूचित किया तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा चैक किस बाबत् है इसके बारे में जानकारी हल्का पटवारी से प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने बताया कि ''आपकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 2396 में सें रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वांछित रास्ता को न्यायालय श्री सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजकीय रास्ता घोषित किया है तथा उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष आपको चैक देते हेतु चैक जमा करवाये है जो चैक आपको/अपीलांट्स को देने हेतु फोन किया।'' तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश मय संपूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2022 को आवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश व संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार दिनांक 24.08.2022 को प्रदान की तथा अपीलाधीन आदेश व संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24.08.2022 को अपीलांट्स को प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 किशनाराम बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2016(2)डी.एन.जे.(राज) पेज 485, 2022(1)आर.आर.टी. पेज 693, 2020(2)आर. आर.टी. पेज 979, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी परिपत्र की प्रति, धारा 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रति, 2019(1)आर.आर.टी. पेज 403, 2019(2)आर. आर.टी. पेज 1507, 2014(1)आर.आर.टी. पेज 40, 2021(2)आर.आर.टी. पेज 1286, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30 सितबंर 2022 की प्रति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 12708/2019 अनवान भागीरथ बनाम मांगीलाल में पारित आदेश दिनांक 22.10.2019 की प्रति, 2021(1)आर.आर.टी. पेज 330 न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो, इस आधार पर तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत भावी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना में भी ग्राम पंचायत भावी द्वारा भी अपीलांट के पिता पर सम्मन की सम्यक तामील करवाकर तथा उभय पक्ष की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने पर भी अपीलाधीन रास्ते का निकटतम एवं लघुतम पाया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही कम नुकसान वाला बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा सुझाये गये विकल्प वाला रास्ता अधिक लंबा है तथा मौके पर चालू नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2015(2)आर.आर.टी. पेज 1003 की न्यायिक नजीर पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 17.02.2022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 2394 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की सहखातेदारी भूमि खसरा नं. 2396 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया हैं तथा रास्ते में काम में आने वाली भूमि का रकबा 11 बिस्वा बताया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज एवं मौका फर्द दिनांक 29.04.2003 के मुताबिक भी खसरा नं. 2394 एवं 2495 में आवागमन हेतु खसरा नं. 2396 में से अपीलाधीन रास्ते के स्थान से ही 10 फीट चौड़ाई के चौड़ाई के रास्ते के आलामात होने बताये गये है तो मौका रिपोर्ट तैयारी के वक्त अवरुद्ध होना बताया गया है। उक्त दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक के लिए आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता है।

अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर बताया है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपने खातेदारी खसरा नं. 2397 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे होता हुआ वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध है, जिससे होकर रेस्पोडेंट संख्या एक आवागमन करता है, किंतु अपीलांट्स द्वारा यह नहीं बताया गया है कि खसरा नं. 2397 संचालित रास्ता आगे किस खसरा से होता हुआ रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 2394 तक पहुंचेगा। अपीलांट्स द्वारा सुझाये गया रास्ते की दूरी की गणना गैर मुमकिन रास्ते से रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नं. 2394 तक की जाये तो उक्त रास्ता अत्यधिक लंबाई का साबित होता है, जो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत पाया जाता है।

अपीलांट के उज्र कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स स्वयं पर सम्मन की तामील नहीं करवायी गई, इस संबंध पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन तामील रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के सम्मन उनके सगे भाई देवाराम पुत्र शंकरलाल पर तामील करवाये गये। देवाराम पुत्र शंकरलाल स्वयं हस्तगत मामले में बतौर अप्रार्थी संख्या एक के रूप में पक्षकार संयोजित है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता है, कि <u>अप्रार्थीगण/अपीलांट्स</u> पर सम्मनों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सम्यक तामील नहीं हुई, लिहाजा सुनवाई के संबंध न्यायिक नजीरों के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से लागू नहीं होते है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि अपीलाधीन रास्ते की चौड़ाई अत्यधिक होने से उनकी खातेदारी भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा। लिहाजा अपीलांट के उक्त उज्र एवं न्यायिक दृष्टांत 2019(1)आर.आर.टी. पेज 285 के अनुसरण में अदालत हाजा भी सहमत है कि काश्तकार को अपनी काश्त तक जाने हेतु 15 फीट चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त होता है। अत्यधिक चौड़ाई के रास्ते से भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा तथा काश्तकार को हानि होगी।

कदीमी रास्ते के संबंध धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य अपीलांट्स के इन के कथनो कि अपीलांट्स की खातेदारी में अपीलाधीन रास्ते की जगह कोई कदीमी रास्ता नहीं चलता है, के आधार पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 किशनाराम बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2022 में खसरा नं. 2396 में सें प्रदत रास्ते की चौड़ाई 20 फीट के स्थान पर 15 फीट की जाती है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि 15 फीट चौड़ाई अनुसार खसरा नं. 2396 में सें रास्ते के रकबे की गणना करे। परिवर्तित रकबे अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि खसरा नं. 2396 के खातेदारान्/

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से पांच को अदा कर दिये जाने पर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकि रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर